बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0

"खाद्य भवन" दरोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2 पटना 800001

पत्रांक–02:15:17(अधि0)/2017– 3245 पटना, दिनांक–4.4.18

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **खरीफ विपणन 2017–18 में विकेन्द्रीय अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत धान/सी.एम.आर. अधिप्राप्ति कार्यक्रम के संबंध मे।**

प्रसंग– **मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक 5765, दिनांक 16.11.2017, निगम मुख्यालय, का पत्रांक 430, दिनांक 13.01.2018 एवं पत्रांक 1647, दिनांक 17.02.2018.**

महाशय,

आप अवगत हैं कि दिनांक–31.03.2018 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धान अधिप्राप्ति की अवधि समाप्त हो चूकी है एवं इसका भौतिक सत्यापन आपके द्वारा कराया जा रहा है। गत वर्षों के अनुभव के आधार पर आपका ध्यान सी.एम.आर. की प्राप्ति एवं भंडारण तथा उसकी गुणवता नियंत्रण की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें कतिपय जिलों में अंचल स्तर के कर्मियों एवं पैक्सों द्वारा सहायक प्रबंधक के सांठ–गांठ से वायदा अधारित सी.एम.आर. की प्राप्ति कर ली गई, जबकि सत्यापन के क्रम में गोदाम में सी.एम.आर. की कमी पाई गई। अब इसके कारण वहां पर कानूनी कार्रवाई करना पड़ा एवं भुगतान करने में भी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। कतिपय जिलों से यह प्रवृति प्राप्त हो रही है कि जिला प्रबंधक द्वारा निजी गोदाम की अधियाचना की जा रही है एवं अधियाचना के पूर्व ही वहां पर सी0एम0आर0 भंडारण करने की सूचना मिली है।

उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में सी.एम.आर. की अधिप्राप्ति का मापदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है–

- राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों से अधिप्राप्ति धान की मात्रा के समतुल्य सिर्फ सी.एम.आर. की प्राप्ति की जायेगी। सी.एम.आर. सग्रहण केन्द्रों पर सी.एम.आर. प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होगाः–
- पूर्व की भाँति प्रति लॉट 270 क्वीं0 सी.एम.आर. की प्राप्ति किया जायेगा।
- प्रत्येक सी.एम.आर. प्रभारी पैक्सवार प्रति लॉट प्राप्त चावल की सूचना Automatic Alert SMS के माध्यम से जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिवेदन देना सुनिश्चित किया जायेगा।
- पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा जमा करने हेतु लाए गए सी.एम.आर. का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना एवं अपलोड करना तथा अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा।
- प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले सी.एम.आर. का अनिवार्य रूप से ऑनलाईन प्रविष्टी सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना ऑनलाईन प्रविष्टी के सी.एम.आर. की प्राप्ति नही की जायेगी।
- सी.एम.आर. के निर्गमन में "प्रथम आगत–प्रथम निर्गत" सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

भंडारण की व्यवस्था।

अधिप्राप्ति धान भण्डारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम एवं सभी सी.एम.आर. गोदाम अधिसूचित होंगे। सभी अधिसूचित गोदामों की सूची अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर दर्ज रहेगी तथा सभी गोदामों का फोटो अपलोडेड रहेगा। सभी अधिसूचित गोदामों का Mapping (अक्षांश/देशान्तर) भी सूची में अंकित रहेगा ताकि गोदाम के सही Location की पहचान आसानी से हो सके। अधिप्राप्त धान के भंडारण हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले जिलावार गोदामों को सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

- जिलों में पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र एवं उसके साथ संबद्ध सी.एम.आर. गोदामों/बिहार राज्य भंडार निगम/बिहार राज्य खाद्य निगम के उपलब्ध गोदामों को सी.एम.आर. अधिप्राप्ति के लिए प्रयोग में लाने हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, जिलावार गोदामों को अधिसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

- सी.एम.आर. हेतु उपयोग में लिये जाने वाले सभी गोदामों के अवशेष भंडार का शून्य भौतिक सत्यापन (Zero Physical Verification) कराने एवं उक्त गोदामों का विडियोग्राफी कराये जाने के पश्चात् ही सी.एम.आर. प्राप्त किया जायेगा।

यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि विगत खरीफ विपणन मौसम में निर्गत किये गये इन्फोर्समेंट में कई त्रुटियाँ रहने के कारण भी अधिप्राप्त धान के विरुद्ध सी.एम.आर. संग्रहण केन्द्र में जमा नही किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इन्फोर्समेंट निर्गत वाले पदाधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित नियम का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जाता है जो अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। सी.एम.आर. की प्राप्ति ऑनलाईन करने के पूर्व वाहन का फोटोग्राफी का तत्काल ही ऑनलाईन अपलोड किया जाना है, जो बिना अधिसूचित गोदाम के संभव नहीं हो पायेगा। सी0एम0आर0 का ससमय निर्गमन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। विगत वर्ष ससमय सी0एम0आर0 रेल रैक के माध्यम से अन्य जिलों को नहीं भेजे जाने के कारण इसके गुणवत्ता में ह्रास होने की शिकायत मिलने के कारण प्राप्त करने वाले जिलों द्वारा सी0एम0आर0 के उठाव में अनावश्यक विलम्ब किया जाता रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपका पुनः ध्यानाकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई भी धान एवं सी.एम.आर. की अधिप्राप्ति या भुगतान नहीं किया जाय एवं अपने स्तर से अनुशंसित सी.एम.आर. संग्रहण केन्द्र खोलने के पूर्व उसका शून्य भौतिक सत्यापन (Zero Physical Verification) के उपरान्त ही इसकी अधिसूचना जारी करने की अनुशंसा की जाय एवं अधिसूचित गोदाम पर अलग से पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी एवं गुणवत्ता नियंत्रक के पदस्थापन के बाद ही राज्य स्तर से निर्गत निदेशों का पालन करते हुए सी.एम.आर. की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। जिला स्तर के पदाधिकारियों से अधिप्राप्त धान/सी0एम0आर0 का जाँच कराना आवश्यक है, ताकि वायदा आधारित कोई भी अधिप्राप्त धान एवं सी.एम.आर. का भुगतान किये जाने वाले पदाधिकारी पर सम्यक कार्रवाई की जा सके।

इसकी महत्ता को गंभीरतापूर्वक दृष्टिपथ रख आपके स्तर पर भी गहन अनुश्रवण करने की आवश्यकता है।

विश्वासभाजन,

4/4/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक–02:15:17(अधि0)/2017– 3245 पटना, दिनांक– 4/4/18

प्रतिलिपिः– सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/4/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक–02:15:17(अधि0)/2017– 3245 पटना, दिनांक– 4/4/18

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/4/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक–02:15:17(अधि0)/2017– 3245 पटना, दिनांक– 4/4/18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/4/2018

प्रबंध निदेशक।